राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय, एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक – एफ.20(462)/एनएचएम/एच.आर./सीएसआर/विविध/2023/109 दिनांक –24/1/24

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले, राजस्थान।

विषय :– Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत जारी नियुक्ति आदेशो में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कार्मिकों के Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत जारी नियुक्ति आदेशो में संशोधन किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव राज्य स्तर पर दिनांक 02.02.2024 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

1. ऐसे संविदा कार्मिक जिनकी स्क्रीनिंग पत्रावली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत कराने के उपरांत उनकी मानदेय वृद्धि (Increment) होने के कारण अंकित मानदेय में परिवर्तन हुआ है, की सूचना।
2. ऐसे संविदा कार्मिक जिनकी स्क्रीनिंग पत्रावली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को प्रस्तुत कराने के उपरांत राज्य स्तर से रेशनेलाईजेशन किये जाने से मानदेय में संशोधन किया जाना यदि अपेक्षित है, की सूचना।
3. ऐसे संविदा कार्मिक जिनके Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है, में लिपिकीय त्रुटी के कारण अनुमोदित मानदेय एवं नियुक्ति पत्र में उल्लेखित मानदेय में भिन्नता है, में संशोधन किया जाना यदि अपेक्षित है, की सूचना।
4. ऐसे संविदा कार्मिक जिनके Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है, में लिपिकीय त्रुटी के कारण संबंधित कर्मचारी के नाम, पदनाम, पिता का नाम, पदस्थापन जिला आदि में भिन्नता है, में संशोधन किया जाना यदि अपेक्षित है, की सूचना।
5. बिन्दु संख्या 01 व 02 में वर्णित सूचना पत्रांक F.20(403)/NHM/HR/2022/2835 दिनांक 28.12.2022 के क्रम में जिला स्तर पर गठित प्रथम एवं द्वितीय स्तरीय दस्तावेज परीक्षण कमेटी (स्क्रीनिंग कमेटी) से अनुमोदन/प्रमाणित करवाकर ही (मय संबंधित सत्यापित दस्तावेज) राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त कमेटी के अनुमोदन के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकरण स्वीकार नहीं किये जावेगें।
6. Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के अन्तर्गत जारी नियुक्ति पत्रों में संधोधन हेतु किसी भी संविदा कार्मिक के द्वारा राज्य स्तर पर सीधे प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो को स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से ही नियुक्ति पत्रों में संशोधन हेतु प्राप्त पत्रों पर विचार/अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
7. निर्धारित दिनांक 02.02.2024 के उपरांत किसी भी प्रकार का पत्र/प्रकरण राज्य स्तर पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, विशेषाधिकारी, एनएचएम, जयपुर।
6. राज्य नोडल अधिकारी/अनुभागाधिकारी, एचआर, एनएचएम।
7. समस्त ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राजस्थान।
9. प्रभारी –सर्वर रूम को ईमेल पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एनएचएम